न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा , आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या : 167/2018
निर्णय दिनांक : 08.01.2020

1. सरोज देवी पत्नी चेतन कुमार जाति माली निवासी बी–17 मधुवन कॉलोनी, टोंक फाटक, टोंक रोड, जयपुर ।

प्रार्थीया

बनाम

1. हरिनारायण पुत्र श्री रामसहाय
2. हनुमान सहाय पुत्र श्री रामसहाय
3. बाबूलाल पुत्र श्री रामसहाय
4. जगदीश पुत्र श्री रामसहाय
5. ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय
6. विद्यानन्द शर्मा पुत्र श्री रामसहाय
7. हेमलता शर्मा पत्नी विद्यानन्द शर्मा
8. रामजीलाल पुत्र नामालूम
9. विनोद पुत्र रामजीलाल
10. देशराज पुत्र रामजीलाल
11. पंकज गौतम पुत्र श्री रामजीलाल
12. गिर्राज पुत्र हनुमान सहाय
13. दिनेश पुत्र बद्रीनारायण
14. जगदीश पुत्र मुलचन्द
15. बाबूलाल पुत्र सुज्या
16. बोद्वीलाल पुत्र भौरीलाल
17. संदीप पुत्र दिनेश कुमा
18. सुनिल पुत्र बनवारीलाल

समस्त जातियान बाहमण निवासीयान ग्राम गंवार ब्राहमणान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 631 रकबा 0.08 है0,ख0न0 632 रकबा 0.08 है0, ख0न0 635 रकबा 0.01 है0, ख0न0 636 रकबा 0.08 है0, ख0न0 638 रकबा 0.12 है0, ख0न0 640 रकवा 0.26 है. ख0न0 642 रकवा 0.07 है0, ख0न0 643 रकबा 0.14 है0, ख०न0 644 रकबा 0.03 है0, खान0 645 रकबा 0.07 है0, ख0न0 646 रकबा 0. 17 है0, ख0न0 648 रकबा 0.07 है0, ख0न0 649 रकबा 0.05 है0, ख0न0 650 रकबा 0.05 है0, ख०न0 651 रकबा 0.10 है0, ख0न0 653/1053 रकबा 0.12 है0, ख0न0 661 रकबा 0.07 है0, ख0न0

उप-खण्ड अधि...
जयपुर (द्वितीय)

664/1035 रकबा 0.15 है0, ख0न0 666 रकबा 0.02 कुल किता 19 कुल रकबा 2.01 है। वाके ग्राम गंवार ब्राहमणान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसकी मान्य न्यायालय के आदेश दिनांक 16/2/2018 की पालना में पत्थरगढी श्रीमान तहसीलदार तहसील सांगानेर के द्वारा की गई है। अप्रार्थीगण पडोस के खातेदार है। जो प्रार्थीया की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा करते रहते है।

अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि पर दिनांक 20/8/2018 को पत्थगढी होने के बाद हमेशा हैरान व परेशान करते रहते है तथा प्रार्थीया की भूमि पर बनाई जा रही बाउण्डरीवॉल बनाने मे बाधा उत्पन्न करते है। तथा मौके पर पडे हुये पत्थर ईटे इत्यादि को उठाकर ले जाते है जिसके विरूद्व पुलिस थाना सांगानेर सदर मे कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये जिसमे पुलिस थाना सांगानेर सदर ने अप्रार्थीगण को धारा 107, 116 सीआर पी.सी. के तहत प्रार्थना पेश कर रखा है। तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज है। दिनांक 25/9/2018 को अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि जिसके चारो ओर अपनी भूमि के सुरक्षार्थ श्रीमान न्यायालय के आदेश से पत्थरगढी अनुसार बाउण्डरीवाल का निर्माण करवा रही थी पर पडे हुये पत्थर, ईट, बजरी इत्यादी उठाकर ले गये तथा प्रार्थीया की बाउण्डरीवाल को तोड दिया। प्रार्थीया के पुत्र नितिन चौहान ने उनको ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण व अन्य लोग प्रार्थीया के पुत्र नितिन चौहान के साथ गाली–गलौच करने लगे तथा मारपीट पर उतारू हो गये तथा धमकी दी कि हम उक्त आराजीयात पर आपको बाउण्डरीवाल नही बनाने देगे तथा कब्जा कर बेदखल कर देगे। इस कारण प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। प्रार्थीया उक्त आराजीयात की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमे अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है अप्रार्थीगण भूजवल व धनवल के आधार पर उक्त आराजीयात पर बाउण्डरीवाल का निर्माण नही करने देना चाहते है। तथा प्रार्थीया को हैरान व परेशान कर उक्त आराजीयात से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने की अधिकारी है प्रार्थीया की आराजी कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर दो मे किया गया पर प्रार्थीया के द्वारा मान्य न्यायालय के आदेश से की गई पत्थरगढी के अनुसार भूमि के चारो तरफ बनाई जा रही बाउण्डरीवाल के निर्माण में किसी प्रकार से तोडफोड नहीं करे न ही बाउण्डरीवाल के निर्माण में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करे, और न ही प्रार्थीया की भूमि पर कोई कब्जा करे, ऐसा न स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट सरवेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये। तथा प्रार्थीया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। यह कि वाद कारण दिनांक 25/9/18 को जब शुरू हुआ जब अप्रार्थीगण प्रार्थीया की आराजी भूमि पर पड़े हुये पत्थर, ईट, बजरी इत्यादी उठाकर ले गये तथा प्रार्थीया की बाउण्डरीवाल को तोड दिया। प्रार्थीया के पुत्र नितिन चौहान ने उनको ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने उनके साथ गांली गलौच करने लगे से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीया की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 631 रकबा 0.08 80, ख0न0 632 रकबा 0.08 है0, ख0न0 635 रकवा 0.01 है0, ख0न0 636 रकबा 0.08 है0, ख0न0 638 रकबा 0.12 है0, ख0न0 640 रकबा 0.26 है0, ख0न0 642 रकबा 0.07 है0, ख0न0 643 रकबा 0.14 है0, ख0न0 644 रकबा 0.03 है0, ख0न0 645 रकबा 0.07 है0, खान0 646 रकबा 0. 17 है0, ख0न0 648 रकबा 0.07 है0, ख0न0 649 रकबा 0.05 है0, ख0न0 650 रकबा 0.05 है0, ख0न0 651 रकबा 0.10 है0, ख0न0 653/1053 रकबा 0.12 है0, ख0न0 661 रकबा 0.07 है0, ख0न0 664/1035 रकबा 0.15 है0, ख0न0 666 रकबा 0.02 कुल किता 19 कुल रकबा 2.01 है। वाके ग्राम गंवार ब्राहमणान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर प्रार्थीया के द्वारा मान्य न्यायालय के आदेश से की गई पत्थरगढी के अनुसार भूमि के चारो तरफ बनाई जा रही बाउण्डरीवाल के निर्माण मे किसी प्रकार से तोडफोड नही करे न ही बाउण्डरीवाल के निर्माण मे किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करे, और न ही प्रार्थीया की भूमि पर कोई कब्जा करे, ऐसा न स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये। तथा प्रार्थीया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा बाद तामील अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या सात व आठ के विरुद्व एक पक्षीय कार्यवही अमल मे लाई गई तथा अप्रार्थी एक ता छ की ओर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे प्रार्थीया द्वारा गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है जिसमे प्रार्थीया कभी भी सफल नही हो सकती हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित होने से प्रार्थीया स्वंय साबित करें। शेष मद गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के पत्थरगढी बावत आदेश दिनांक 16–7–18 की पालना बावत कथन किया है जो गलत होने से अस्वीकार हैं आदेश दिनांक 16–2–18 की कार्यवाही मे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को पक्षकार नही बनाया गया था ना ही इस मद मे वर्णित भूमि का सीमाज्ञान हुआ है ना ही आदेश की पालना मे मौके पर ही हुई है। यदि प्रार्थीया द्वारा तथाकथित रूप से कोई पत्थरगढी या सीमाज्ञान करवाया भी है हो तो मिन अप्रार्थीगण को उसकी जानकारी नही है तथा बालाबाला ही राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीयों से सांठगांठ करवाई है जो मिन अप्रार्थीगण के हितो के प्रति शुन्य व निष्प्रभावी है तथा मिन अप्रार्थीगण ऐसी कार्यवाही से बाध्य नही है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि की सीमा आपस मे लगवा है तथा प्रार्थीया क्लीन हैण्ड मे न्यायालयहाजा के समक्ष नही आई है क्योकि प्रार्थीया का स्वंय की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 664/1035, 666 की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही हं ना ही कोई निर्माणात प्रार्थीया द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर करवाया गया है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अर्से दराज से लगभग 70 साल पूर्व से पुख्ता मकानात व खाम पाटोल, बाड़ा बना

उप-खण्ड अधिकारी
सांगानेर जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 रिहायश कर रहे है तथा काबिज आबाद है सन 1955 सेटलमेन्ट से पूर्व के राजस्व नक्शे मे स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि आबादी है तथा उस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 काबिज व आबाद है गत साबिक खसरा नम्बर 294 का वर्तमान खसरा नम्बर 666/1035 बना है ओर उसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1लगायत 6 के नाम अंकित है जबकि गत व वर्तमान नक्शे को अधिरोपित करने से जो स्थिती आती हैं उसके अनुसार खसरा नम्बर 664/1035, गत खसरा नम्बर 295 का ही भाग है। वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान तैयार मिलान क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड, नवशे मे गत खसरा नम्बर 294 से बनना गलत अंकित किया गया हैं इस प्रकार भूनि हाल खसरा नमबर 664/1035 की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की भूमि गत खसरा नम्बर 295 का भाग है जो भू-प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थीया के नाम नक्शे मे तरमीम गलत किया है तथा मिलान क्षेत्रफल व हाल नक्शा गत नक्शे की तुलना मे गलत बनाया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के अलावा अन्य पडौसी खातेदारान् को पक्षकार बनाते हुए नियमित वाद संख्या 179/2018 प्रस्तुत किया है जिसकी सदैव से ही प्रार्थीया को जानकारी रही है इसके बावजूद भी प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया है कानूनन ऐसी स्थिती मे प्रकरण के पक्षकारान के हक हकुको का गुणावगुण पर निस्तारण माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद मे होना शेष है। प्रार्थीया का उक्त भूमि खसरा नम्बर 664/1035, 666 पर कतई कब्जा काश्त नही है ऐसी सूरत मे कब्जे के अभाव में प्रार्थीया का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

प्रार्थना पत्र का मद संख्या 3 सर्वथा गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम की खातेदारी भूमि पैतृक है तथा पूर्वजों के जमाने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 काबिज व आबाद है। प्रार्थीया का कोई कब्जा काश्त नही है। प्रार्थना पत्र का मद संख्या 4 सर्वथा गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीया द्वारा तथाकथित दिनांक 20-8-2018 को ना ही तो कोई सीमाज्ञान करवाई गई है, ना ही पत्थरगढी करवाई गई है ना ही कोई बाउण्ड्रीवाल तथाकथित रूप से प्रार्थीया द्वारा तामीरात करवाई गई है। प्रार्थीया के नाम की खातेदारी भूमि पर सक्षम न्यायालयों के द्वारा पारित स्टे आदेश प्रभावी है। प्रार्थीया द्वारा मौके पर पत्थर व ईटो इत्यादि को उठाने का कथन वर्णित किया गया है सर्वथा गलत है, प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य सीमा को लेकर राजस्व न्यायालयों व दिवानी न्यायालयो मे विवाद लम्बित है तथा मौके पर यथा स्थिती के आदेश जारी किये हुए है ऐसी सूरत मे पत्थरगढी होना अपने आप मे गलत साबित होता है तथा फौजदारी कार्यवाही अपने आप मे झूठी है। दिनांक 25-9-2018 को विवादित भूमि के मौके बाउण्ड्रीवाल का कथन किया है गलत है मौके पर बाउण्डीवाल का निर्माण करने का जो कथन किया है, यह गलत है मौके पर जब कोई बाउण्ड्रीवाल बनी हुई ही नहीं है तो इसको तोड़ने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। शेष कथन गाली गलोच व मारपीट बाबत किये गये हैं यह भी सर्वथा गलत होने से अस्वीकार है अप्रार्थीगण सभ्य व शिक्षित परिवार

Scanned by CamScanner

के व्यक्ति है अपनी पैतृक भूमि साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 676, 677, 678, 679 कुल किता 4 कुल रकबा 0.53 हेक्टयर भूमि पर अर्से दराज से काबिज व आबाद है। वादिया ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र का मद संख्या 5 सर्वथा गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने बिना कब्जे के आधार पर दावा पेश किया है केवल मात्र अपने आपको मुख्यमंत्री महोदय का रिश्तेदार बताकर अपने उचे रसूको का बेजा फायदा उठाकर केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने एवं उनकी सम्पत्ति पर कब्जा करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा मौके पर असामाजिक तत्वों व पुलिस की नाजयज की सहायता लेकर अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा उनवानी हरिनारायण बनाम सरोज वाद पेश किया हुआ है जो लम्बित है। इस प्रकार वाद आधार पर कानूनन पोषणीय नही इसलिए पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है। वादिया द्वारा तथाकथित न्यायालय के आदेश से विवादित भूमि पर ना ही कोई पत्थरगढी हुई है ना ही किसी प्रकार से बाउण्डीवाल का निर्माण प्रार्थीया द्वारा करवाया गया है ना ही अपार्थीगण द्वारा तथाकथित रूप से कोई बाउण्ड्रीवाल को तोडा गया है मौके पर भूमि पूर्णरूप से खाली पड़ी हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मकानात व खाम बाडा विवादित भूमि खसरा नम्बर 666, 664/1035 पर अप्रार्थीगण का बना हुआ है इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा है तथा मिन अप्रार्थीगण मौके पर रिहायश कर रहे हैं जिसको उनके कब्जे व मकानो से बेदखल करने पर प्रार्थीया आमादा है तथा आये दिन झूठी पुलिस कार्यवाहीयां करवाकर कब्जा लेने हेतु नाजायज रूप से दबाव बना रही है। जबकि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 का जो विवाद है वह विवाद नियमित वाद मे निपटारा होना तय है ना ही वादीया किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है अत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्षो की बहस सुनी गई तथा प्रार्थीया की ओर से लिखित बहस भी पक्ष समर्थन मे प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षो के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया।

प्रथमदृष्टया मामला– यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे निम्न तथ्य अंकित किये है कि आराजी कृषि भूमि खसरा न0 631 रकबा 0.08 है0,ख0न0 632 रकबा 0.08 है0, ख0न0 635 रकबा 0.01 है0, ख0न0 636 रकबा 0.08 है0, ख0न0 638 रकबा 0.12 है0, ख0न0 640 रकबा 0.26 है. ख0न0 642 रकबा 0.07 है0, ख0न0 643 रकबा 0.14 है0, ख०न0 644 रकबा 0.03 है0, खान0 645 रकबा 0.07 है0, ख0न0 646 रकबा 0.17 है0, ख0न0 648 रकबा 0.07 है0, ख0न0 649 रकबा 0.05 है0, ख0न0 650 रकबा 0.05 है0, ख०न0 651 रकबा 0.10 है0, ख0न0 653/1053 रकबा 0.12 है0, ख0न0 661 रकबा 0.07 है0, ख0न0 664/1035 रकबा 0.15 है0, ख0न0 666 रकबा 0.02 कुल किता 19 कुल रकबा 2.01 हैक्टयर के राजस्व अभिलेखो मे प्रार्थीया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित है।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब मे तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थीया का स्वंय की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 664/1035, 666 की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही है ना ही कोई निर्माणात प्रार्थीया द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर करवाया गया है। उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के अर्से दराज से लगभग 70 साल पूर्व से पुख्ता मकानात व खाम पाटोल, बाडा बना हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 रिहायश कर रहे है तथा काबिज आवाद है सन 1955 सेटलमेन्ट से पूर्व के राजस्व नक्शे मे स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि आबादी है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि की सीमा आपस मे लगवा है प्रार्थीया का स्वंय की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 664/1035, 666 की भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त नही है गत साबिक खसरा नम्बर 294 का वर्तमान खसरा नम्बर 666/1035 बना है ओर उसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम अंकित है जबकि गत व वर्तमान नक्शे को अधिरोपित करने से जो स्थिती आती हैं उसके अनुसार खसरा नमबर 664/1035, गत खसरा नम्बर 295 का ही भाग है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के अलावा अन्य पडौसी खातेदारान् को पक्षकार बनाते हुए नियमित वाद संख्या 179/2018 प्रस्तुत किया है जिसकी सदैव से ही प्रार्थीया को जानकारी रही है इसके बावजूद भी प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया है कानूनन ऐसी स्थिती मे प्रकरण के पक्षकारान के हक हकुको का गुणावगुण पर निस्तारण माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद मे होना शेष है।

उक्त समस्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा होना वताते है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम बतौर राजस्व अभिलेखो मे अंकित है तथा अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजात वास्तविक कब्जे बाबत प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित होता हो कि विवादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा हो तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड मे अंकन होता है तो उसी ही व्यक्ति का ही विधिक कब्जा माना जायेगा।

प्रथमदृष्टया मामला– यह अवस्था प्रथमदृष्टया मामले की परिधि मे आती है जो प्रार्थिया के पक्ष में होने से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है

सुविधा का सन्तुलन– यह कि प्रार्थीया विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार है तथा तहसीलदार सांगानेर द्वारा विवादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान भी किया गया है जो कि दस्तावेजात से साबित है तथा प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया मामला है ऐसी स्थिति मे सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे है।

अपूरणीय क्षति –यह कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष मे होने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थिया को ही कारित होगी ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थिया के पक्ष में ही साबित होता है

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता फैसला वाद पाबन्द किया जाता है आराजी कृषि भूमि खसरा न0 631 रकबा 0.08, ख0न0 632 रकबा 0.08 है0, ख0न0 635 रकवा 0.01 है0, ख0न0 636 रकबा 0.08 है0, ख0न0 638 रकवा 0.12 है0, ख0न0 640 रकवा 0.26 है0, ख0न0 642 रकबा 0.07 है0, ख0न0 643 रकबा 0.14 है0, ख0न0 644 रकबा 0.03 है0, ख0न0 645 रकबा 0.07 है0, खान0 646 रकवा 0.17 है0, ख0न0 648 रकबा 0.07 है0, ख0न0 649 रकवा 0.05 है0, ख0न0 650 रकबा 0.05 है0, ख0न0 651 रकबा 0.10 है0, ख0न0 653/1053 रकवा 0.12 है0, ख0न0 661 रकबा 0.07 है0, ख0न0 664/1035 रकबा 0.15 है0, ख0न0 666 रकबा 0.02 कुल किता 19 कुल रकवा 2.01 है। वाके ग्राम गंवार ब्राहमणान, तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर प्रार्थीया के द्वारा मान्य न्यायालय के आदेश से की गई पत्थरगढी के अनुसार भूमि के चारो तरफ बनाई जा रही बाउण्डरीवाल के निर्माण मे किसी प्रकार से तोडफोड नही करे और न ही प्रार्थीया की भूमि पर कोई कब्जा करे, ऐसा न स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, ठेकेदार इत्यादि से करवाये। तथा प्रार्थीया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक **08.01.2020** को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2020.02.07 16:27:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: